



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45873 /2024

टीटू उर्फ धीरेंद्र

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता	:	शैलेश कुमार श्रीवास्तव, शमशेर सिंह
प्रतिवादी अधिवक्ता	:	आनंद प्रिय सिंह, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

- लिस्ट में बदलाव किया गया है। आज दायर किया गया जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- आवेदक के अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, सूचना देने वाले के अधिवक्ता श्री आनंद प्रिय सिंह, राज्य के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
- वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 825 वर्ष 2024, धारा 352 और 103 बी.एन.एस. के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन कोटवाली शहर, जिला बिजनौर में उसे जमानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का इस जुर्म से कोई लेना-देना नहीं है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। असली गुनहगार वह आदमी था जिसके घर में मरा हुआ आदमी सो रहा था, लेकिन उसने मामले को छिपाने के लिए आवेदक को झूठा फंसाया है। अभी तक सिर्फ एक गवाह से पूछताछ हुई है। जल्द ही मुकदमा खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक 01.09.2024 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

5. सूचना देने वाले के अधिवक्ता और ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया है कि आवेदक मुख्य आरोपी है, इसलिए वह जमानत का हकदार है।

6. दोनों पार्टियों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और इस बात पर ध्यान देने के बाद कि प्राथमिकी में आवेदक अकेला आरोपी है, मुझे आवेदक को जमानत देने का यह सही मामला नहीं लगता। जमानत की अर्जी में कोई दम नहीं है और इसलिए, उसे खारिज किया जाता है।

7. लेकिन, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय में लंबित ऊपर बताए गए मामले का फैसला जल्द से जल्द किया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसलों में **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में बताया गया है, अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं है।

8. यह साफ़ किया जाता है कि यहां की गई बातें सिर्फ़ उन बातों तक सीमित हैं जो पार्टियों ने जमानत आवेदन के निपटारे से जुड़ी बताई हैं और इन बातों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

(रवि कांत)



translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।